न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 02/2012 (रा.प्रा.प.) **दायर दिनांक– 02.02.2012**

1. श्री रामेश्वर पिता छोगालाल दरोगा (राजपूत),
   निवासी भटवाडा खुर्द, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री सत्यनारायण पिता छोगालाल दरोगा (राजपूत),
   निवासी भटवाडा खुर्द, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता रंगलाल महाजन,
   निवासी कांटी, तहसील गंगरार
2. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार,
   तहसील गंगरार,जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि–आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4)

उपस्थित :–वकील प्रार्थी :– श्री छोगालाल जाट
वकील विपक्षी :– श्री चम्पालाल जाट

निर्णय **दिनांक 28.02.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकारण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ भू आंवटन कमेटी ने मौजा भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार की सरकारी बिलानाम साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 96/1 ख मीन रकबा 5 बीघा भूमि का गलत रूप से आंवटन आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतया अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार का विवादित आंवटित आराजीयात पर पैतृक कब्जा काश्त चला आ रहा है व उक्त आराजीयात जिसके नवीन आराजी नम्बर 260 रकबा 0.34 हैक्टर आराजी नम्बर 261 रकबा 0.47 हैक्टर, आराजी नम्बर 262 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 हैक्टर विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात निगराकार की आराजीयात से

लगी हुयी होकर आंवटन के पूर्व से निगराकार का नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण को बेदखल किये बगैर विवादित आराजीयात का विपक्षी संख्या 01 के नाम पर आवंटन आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जोन योग्य है। विवादित आराजीयात के संबंध में आंवटन हेतु विधित उद्घोषणा भी जारी नही की गई फिर भी विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 से तथ्यों को छीपा कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करा विवादित आराजीयात का आवंटन आदेश पारित करवा दिया। विवादित आराजीयात बिलानाम सरकार होकर प्रार्थी निगराकार के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, फिर भी विपक्षी ने तथ्यों को छीपाकर आंवटित करवा ली, जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.02.2010 को विपक्षी गलत इन्द्राज की आड में विवादित आाजीयात पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया तत्पश्चात सभी तथ्यों की जानकारी कर निगरानी निगरानीकार द्वारा अन्दर मियाद पेश की है। आवंटन पत्रावली जाया हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 193 दिनांक 23.02.1972 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2031–34 की खतोनी संख्या 171 की प्रमाणित प्रति पेश है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी बहक निगराकार विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ भू आवंटन आदेश दिनांक 23.02.1972 मौजा भटवाडा खुर्द की साबिक आराजी नम्बर 96/1 ख मीन रकबा 5 बीघा का निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात बिलानाम दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी कर दिनांक 27.10.2010 को निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण में वस्तुतः आवंटन 1972 का है और प्रार्थना पत्र 14(4) दिनांक 13.02.2010 को 38 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन/पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है। प्रार्थना पत्र में मूल बिन्दू व वकील प्रार्थी ने विवादित भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा होते हुए बिना बेदखली के भू आवंटन करने की बात

कही है, दूसरा तथ्य उद्घोषणा जारी करना नही बताया है, परन्तु दोनो ही बिन्दूओं को प्रमाणित नही कराया गया है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी ने जो कानूनी उद्रण आर.आर.डी. 1998 पेज 589 पेश किया, वह निर्णय दिनांक 24.06.98 को पारित सुदा है। इसके मुकाबले विद्वान अधिवक्ता ने जो कानूनी उद्रण प्रस्तुत किये है उनमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह प्रतिपादित किया है कि सरकारी भूमि पर अतिचार अथवा अतिक्रमण होना आवंटन निरस्ती हेतु आधार नही हो सकता। प्रार्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में रहा होगा और अतिक्रमी को सुरक्षा देना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट/प्रार्थी ने यदि उसका कब्जा था तो नियमन अथवा आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया अथवा नही,यदि प्रस्तुत किया तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? इस संबंधी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर इतने लम्बें समय के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायसंगत नही है। इस प्रकार उक्त वर्णित कानूनी उद्रणों को ध्यान में रखते हुए इस मामले 38 वर्ष बाद बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2010 के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में अपील दायर की जिसके प्रकरण संख्या 78/2010 एलआर अनवान रामेश्वरलाल बनाम मोहनलाल वगैरा दिनांक 18.08.2011 को निर्णय प्रदान किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 193 दिनांक 23.02.1972 से खसरा नम्बर 96/1 ख रकबा 5 बिघा मिसल नम्बर 652/72 से आंवटन होने के आधार पर आंवटी मोहनलाल के नाम पर गैरखातेदारी हक से नामान्तरित की गई है। जमाबंदी सम्वत 2031–34 में खसरा नम्बर 96/1 ख रकबा 5 बिघा मोहनलाल पिता रंगलाल महाजन के गैरखातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2065–2068 में नवीन खसरा नम्बर 206, 261, 262 कुल किता 3 रकबा

0.97 हैक्टर मोहनलाल के गैर खातेदारी मे दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि मोहनलाल महाजन को वर्ष 1972 में आंवटित होकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक में दर्ज है और प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में काश्त किये जाने का भी उल्लेख है। प्रार्थीगण अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने से आवंटन आदेश निरस्त करने का आधार नही मानकर मौके की रिपोर्ट तलब करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2010 पर आदेश पारित किये बिना निगरानी खारिज कर दी गई है, जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश अपेक्षित था, यह भी विचारणीय है कि विवादित भूमि सन् 1972 में आंवटन होने के बावजूद राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक में दर्ज है, जिसके स्पष्ट कारण की भी जांच अपेक्षित थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अभिलेखिय दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये बिना निर्णय पारित करने में भूल की है। जिससे अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है फलस्वरूप यह अपील स्वीकार योग्य है, परन्तु उपर्युक्त अनुसार प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तलब कर राजस्व रेकार्ड में भूमि गैर खातेदारी हक दर्ज होने के कारणों का परिक्षण कर आदेश पारित किया जाना अपेक्षित होने से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर(भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 27.10.2010 निरस्त किया जाता है और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कार्यवाही की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 18.08.2011 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर तथा निर्णय में प्रदत्त निर्देशानुसार तहसीलदार गंगरार से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रकरण पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस नही किये जाने से दिनांक 15.02.2018 को

न्यायहीत की दृष्टि से एक अंतिम अवसर इस आदेश के साथ दिया गया की आगामी पेशी तक लिखित बहस प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकते है अन्यथा प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आदेश पारित किया जायेगा।

प्रकरण पर नियत दिनांक 22.02.2018 तक उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई है। प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर ग्राम भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार की साबिक आराजी नम्बर 96/1 ख मीन रकबा 5 बिघा जिसके हाल आराजी नम्बर 260 रकबा 0.34 हैक्टर, आराजी नम्बर 261 रकबा 0.47 हैक्टर, आराजी नम्बर 262 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि जमाबंदी संवत् 2065–2068 में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 18.08.2011 में दिये गये निर्देशानुसार तहसीलदार गंगरार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिनके पत्रांक राजस्व/2013/135 दिनांक 05.03.2013 से इस आशय की प्राप्त हुई कि –

1. आंवटी श्री मोहनलाल पिता रंगलाल,ग्राम कांटी में किराणे की दुकान चलाता है जिससे स्पष्ट है कि श्री मोहनलाल व्यापारी होकर सद्भावी कृषक नही है।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट एवं पर्चा मौका अनुसार आंवटी द्वारा आवंटन के पश्चात प्रासांगिक आराजीयात पर कृषि कार्य नही किया गया है।
3. वर्तमान में प्रश्नगत आराजी पर रामेश्वर,सत्यनारायण पिता छोगा, भंवरलाल, नारायण, बालू पिता लक्ष्मण, शंकर पिता शम्भू, नन्दलाल, रतन, मनोहर, लादू पिता भैरू, नानू, मिठू पिता प्रताप दरोगा, निवासी भटवाडा खुर्द का कब्जा काश्त है।
4. पटवार हल्का के पर्चा मौका अनुसार आवंटन शर्तो की पालना नही हुई है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि असिंचित होने से भू राजस्व माफ है। लगान वसूली नही हो रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी श्री मोहनलाल पिता रंगलाल महाजन को प्रकरण संख्या 652/72 से भूमि का आंवटन किया गया जो नवीनतम जमाबंदी में भी गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसके लगभग 45 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी खातेदारी अधिकारी प्रदान नही किये गये है तथा तहसीलदार गंगरार की रिपोर्ट दिनांक 05.03.2013 के अनुसार आंवटी सद्भावी कृषक नही है तथा न ही मौके पर कब्जा आवंटी का है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त योग्य होने से विपक्षी संख्या 01 को ग्राम भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार की साबिक आराजी नम्बर 96/1 ख मीन रकबा 5 बिघा हाल आराजी नम्बर 260 रकबा 0.34 हैक्टर, आराजी नम्बर 261 रकबा 0.47 हैक्टर, आराजी नम्बर 262 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार गंगरार को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि से अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि को कब्जे राज लेकर विधिवत राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़